A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
66 / अपील / 2019	26.07.2019	19.09.2019

सूरज आ. हरिसिंह जाति बंजारा निवासी ग्राम फूल्याणी का झोपड़ा सूहरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान) – अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0) – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 10.12.2018
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–

अपीलांट की ओर से – श्री पदम कासलीवाल, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2018 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 02 बीघा, खसरा नं. 26 / 668 रकबा 02 बीघा, खसरा नं. 26 / 669 रकबा 02 बीघा, खसरा नं. 31 रकबा 01 बीघा खसरा नं. 32 रकबा 05 बीघा कुल किता 05 कुल रकबा 12 बीघा किस्म सिवाचयक वाके ग्राम सूहरी तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी, 1500 / – रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वस्तु स्थिति, विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है एवं ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया है। केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

स्वतंत्र साक्ष्य नहीं लिये है। अपीलान्ट को पूर्व में कभी भी भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। अपीलांट का कोई सिवायचक भूमि पर कब्जा नहीं है एवं ना ही किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर से कब्जा छोड दिया है तथा पैनाल्टी राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपीला अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.12.2018 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है जो बाद तामील पत्रावली में शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय व पटवारी रिपोर्ट व बयान में अंकित है तथा गत वर्ष बेदखल किये गये निर्णय व फर्द भौतिक रूप से बेदखल किये गये कि प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा अपीलान्ट ने सिवायचक भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)
अति0 जिला कलक्टर बूंदी (राज0)